भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2489

गुरूवार, 24 मार्च, 2022 / 03 चैत्र, 1944 (शक)

दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में अध्ययन

2489. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर को एक महीने में कितने दिन की मजदूरी मिल पा रही है; और
(ख) क्या यह सच है कि काम के अवसरों की कमी के कारण दिहाड़ी मजदूर न्यूनतम मजदूरी दर की तुलना में कम मजदूरी पर कार्य करने को मजबूर हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकार ने अनुसूचित रोजगार में नियोजित असंगठित क्षेत्र के अकुशल कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत एक तंत्र स्थापित किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने और संशोधित करने का अधिदेश है। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान सहित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है और राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने या कम भुगतान के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में किए गए निरीक्षणों और दावा मामलों का विवरण अनुबंध में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, कामगार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्रेड यूनियन नेता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान हेतु दावा मामले भी दर्ज कर सकते हैं।

*

*****

अनुबंध

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्रीमती छाया वर्मा, चौधरी सुखराम सिंह यादव और श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा "दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में अध्ययन" के संबंध पूछे गए दिनांक 24.03.2022 के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2489 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल-21 से दिसंबर-21 तक)
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	7709	1664	600
2	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	60528	11934	5324
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	23743	7244	3764
4	अभियोजनों की संख्या	1633	441	176
5	दोषसिद्धियों की संख्या	413	160	20

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दावों के मामले

वर्ष	दर्ज किए गए	निर्णीत	प्रदान की गई राशि (रुपये)	लाभान्वित कामगारों की संख्या
अप्रैल-2019 से मार्च तक 2020	5,882	1,857	20,94,37,906	15,130
अप्रैल-2020 से जनवरी 2021 तक	6,449	1,982	15,34,71,184	4,479
अप्रैल-2021 से अक्तबूर-2021 तक	1,222	646	14,32,09,555	2,258

*****